(ख) उपर्युक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (i) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया आदेश [सा०का० नि० सं० 950(अ)] दिनांक 14 दिसम्बर, 1990 ।

(ग) गोवा के राज्यपाल का राष्ट्रपति को उद्घोषणा जारी करने की सिफारिश करने वाला 11 दिसम्बर, 1990 का प्रतिवेदन ।

PAPERS LAID ON THE TABLE

I. Reports and Account'; (1989-90) of Various Textile Industry's Research Associations and related papers...

. Report and Accounts (1989 90) of Paddy Processing Research Centre (Tamil Nadu) Society Thanjavur and related papers,

III. Reports an, Accounts (1989-90) of the Indian Silk Export Promotion , Council Bombay and related papers.

IV. Reports and Accounts (1989.90) of the Cotton Textiles Export Promo tion Council. Bombay and related papers.

V Report and Accounts (1989-90) the Synthetic and Reyon Textile Export Promotion Council Bombay and related papers.

वस्त्र तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री हुकुमदेव नारायण यादव) : श्रीमान, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं :—

I (क) 1989–90 के वर्ष के लिए, अहमदाबाद वस्त्र उद्योग अनुसंधान संघ, अहमदाबाद का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल टी -1620/91]

(ख) 1989–90 के वर्ष के लिए, मुम्बई वस्त्र अनुसंधान संघ, मुम्बई का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित ।

[पुस्कालय में रखी गई । देखिए संख्या एल टी-1621/91]

(ग) 1989–90 के वर्ष के लिए, दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान संघ, कोय-म्बटूर का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या-एल टी-1622/91]

(घ) 1989–90 के वर्ष के लिए, उत्तर भारत वस्त्र अनुसंधान संघ, गाजिया-बाद, का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित ।

[पुस्तकालय में पखी गई । देखिए संख्या-एल-टी-1623/91]

(ङ) ऊपर (क), (ख), (ग) और (घ) में उल्लिखित संघों के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई (क) से (ङ) तक के लिए देखिये संख्या-एल०टी०-1620 से 1623/91]

II (क) 1989–90 के वर्ष के लिए पैडी प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर (तमिल-नाडु) सोसायटी, तंजाऊर का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखा-परीक्षक प्रतिवेदन सहित ।

(ख) सोसायटी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । (क) और (ख) के लिए देखिए संख्या-एल०टी०-1602/90]

III (क) 1989–90 के वर्ष के लिए भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन, परिषद् मुम्बई का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रति-वेदन सहित ।

(ख) परिषद के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । (क) और (ख) के लिए देखिए संख्या-एल०टी०-1627/91]

[श्री हुकुमदेव नारायण यादव]

IV (क) 1989–90 के वर्ष के लिये सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, मुम्बई का छत्तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित ।

(ख) परिषद् के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई। (क) और (ख) के लिए देखिए सं०-एल०टी०-1625/91]

V (क) 1989–90 के वर्ष के लिये सिंथेटिक एण्ड रेयान, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुम्बई का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन सहित ।

(ख) काउंसिल के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । (क) और (ख) के लिए देखिए संख्या-एल०टी-1626/91]

I Report and Accounts (1989-90) of the Modern Food Industries (India) Limited, New Delhi and related papers.

II. Reports and Accounts (1989-90) of the Textile Committee, Bombay and related papers

श्री हुकुमदेव नारायण यादव : श्रीमन्, मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) भी सभा पटल पर रखता हूं:–

I (i) 1989–90 के वर्ष के लिये माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का पच्चीसवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उन पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ii) कम्पनी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । (i) और (ii) के लिये देखिये संख्या---एल०टी-1601/90]

II. टेक्सटाइल समिति अधिनियम, 1963 की धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) :–

(i) 1989–90 के वर्ष के लिये टेक्सटाइल, कमेटी, मुम्बई का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन सेहित ।

(ii) कमेटी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । (i) और (ii) के लिये देखिए संख्या---एल०टी-1624/91]

I. Ordinances under article 123 (2) (a) of the Constitution.

IT Order withdrawing **the** Finance. (Amendment) Ordinance, 1990 (No 6 of 19901),

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : श्रीमन्, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

I. संविधान के अनुच्छेद 123(2) (क) के अधीन निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):—

(i) राष्ट्रपति द्वारा 15 अक्तूबर, 1990 को प्रख्यापित वित्त (संशोधन) अध्यादेश, 1990 (1990 का संख्यांक 6) [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या-1553/91]

(ii) राष्ट्रपति द्वारा 15 अक्तूबर, 1990 को प्रख्यापित भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 1990 (1990 का संख्यांक 7) । [पुस्तकालय में रखीगई। देखिए संख्या एल टी-1554/90]

(iii) राष्ट्रपति द्वारा 15 अक्तूबर 1990 को प्रख्यापित वित्त (दूसरा